No.A.33022/1/2013-Admn Government of India Ministry of Water Resources

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg New Delhi, dated 3rd October, 2013

Subject: Long/ short term training abroad in various selected universities/ institutes under the Domestic Funding of Foreign Training (DFFT) Scheme

The undersigned is directed to say that DoPT has requested for applications/ nominations for undergoing long/ short term training abroad in various selected universities/ institutes for the Financial Year 2014-15 (April 2014 to March 2015) under the Domestic Funding of Foreign Training (DFFT) Scheme. The details of the training programmes are available on the DoPT's website http://persmin.nic.in. Willing and eligible Group 'A' officers may kindly forward their nominations to EA Desk under intimation to this Section at the earliest.

(L.P. Sharma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel. No. 23738126

Email: usadmn-mowr@nic.in

To,

- 1. All Group 'A' Officers in the Ministry
- 2. NIC Cell for uploading on the circular page of the intranet.
 - 3. Hindi Section for Hindi version.

Copy to :-

- 1. PS to Minister (WR)
- 2. Sr. PPS to Secretary (WR)
- 3. PS to JS (A)/ JS (PP)
- 4. PS to JS & FA

सं. ए-33022/12013-प्रशा.

भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय

श्रमशक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक : 3 अक्टूबर, 2013

विषय: घरेलू निधि से विदेशी प्रशिक्षण (डी एफ एफ टी) के अंतर्गत विविध चुनिंदा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लंबी/कम अविध का विदेशी प्रशिक्षण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने घरेलू निधि से विदेशी प्रशिक्षण (डी एफ एफ टी) स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 (अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक) के लिए विविध चुनिंदा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लंबी/कम अविध के प्रशिक्षण के लिए नामांकन/आवेदन हेतु अनुरोध किया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम के ब्यौरे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट .http://persmin.nic.in. पर उपलब्ध है । इच्छुक तथा पात्र समूह 'क' कर्मचारी शीघ्र अपने मनोनयन इस अनुभाग को सूचित करते हुए ई ए डेस्क को प्रेषित करें ।

(एल.पी. शर्मा) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष- 23738126 ई-मेल- usadmn-mowr@nic.in

सेवा में,

मंत्रालय के सभी समूह 'क' अधिकारी ।
 इंट्रानेट के परिपत्र पृष्ठ पर अपलोड करने के लिए एन आई सी प्रकोष्ठ ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1. सदस्य (जल संसाधन) के निजी सचिव।
- 2. सचिव (जल संसाधन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
- 3. संयुक्त सचिव (ए)/संयुक्त सचिव (पीपी) के निजी सचिव ।
- 4. संयुक्त सचिव और एफ ए के निजी सचिव।